ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 102-104
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-II, Issues-10 YEAR- Dec -2018

भारत में लैंगिक असमानता–एक समाजशास्त्रीय विवेचन

मनोज कुमार मिश्र
एसोसिएट प्रोफेसर–समाजशास्त्र विभाग, गनपत सहाय पी0जी0 कालेज, सुलतानपुर (उ0प्र0), भारत

Received- 20.11.2018, Revised- 23.11.2018, Accepted - 26.12.2018 E-mail: - chanakyacom3@gmail.com

सारांश : ***"भारत सरकार ने अनेक कानूनों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए हैं। इसके बाद भी वास्तविकता यह है कि भारत में विकासशील देशों के विपरीत स्त्रियों की पहचान आज भी एक स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में न होकर केवल एक पुत्री, पत्नी, माँ या बहिन के रूप होती है, अर्थात् स्त्रियों की प्रस्थिति किसी न किसी रूप में आज भी पुरुषों के अधीन है। व्यवहार में स्त्रियों को परिवार के अन्दर तथा परिवार के बाहर केवल उतनी ही स्वतन्त्रता और अधिकार मिल पाते हैं जिन्हे परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस लैंगिक विषमता को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा दूसरे क्षेत्रों में देखा जा सकता है। प्रस्तुत आलेख लिंगीय असमानता के कारण उसके स्वरूप, भारत में लिंगीय असामनता की स्थिति से लिंगीय समानता की दिशा में शासन द्वारा उठाये गये कदमों को उजागर करने का प्रयास है।"***

कुंजीभूत शब्द– सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अधिकार, वास्तविकता, विकासशील, विपरीत, स्वतन्त्र।

किसी समाज में जब लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाने लगता है, तब सामान्य शब्दों में इस दशा को हम लैंगिक असमानता कहते हैं। लैंगिक असमानता शब्द का उपयोग जैविकीय तथा सामाजिक दोनों अर्थों में किया जाता है। लिंग शब्द का अंग्रेजी अनुवाद 'Gender' और 'Sex' है। इन दोनों में भेद इस रूप में समझा जा है कि 'Sex' एक जैविक संवर्ग है जो सभी जीव धारियों में पाया जाता है, क्योंकि सभी जीवधारियों में नर तथा मादा का विभाजन जीव विज्ञान में किया में किया गया है। इसी क्रम में महत्वपूर्ण यह भी है कि किसी भी व्यक्ति का Sex की जानकारी के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए क्योंकि कई स्थानों पर सूचनार्थ यह जानकारी मांगी जाती है–जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में, रेलवे आरक्षण में इत्यादि। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और न ही कोई आपत्ति, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियाँ केवल सकारात्मक उद्देश्यों से ली जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ Gender एक नकारात्मक संकल्पना है जिसे धर्म, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों से जोड़कर देखा जाता है और जो निश्चित रूप से आपत्तिजनक भी है। यहाँ तक कि भेदभाव भी इसी Gender के आधार पर किया जाता है, जो कि नकारात्मक भेदभाव है जबकि मग के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव सकारात्मक भी हैं। यही कारण है कि कभी भी न तो Sex Equality की मांग की जाती है और न ही इसे प्रासंगिक माना जाता है, जबकि Gender के आधार पर किये जाने वाले नकारात्मक भेदभाव को न केवल समाप्त करने की मांग की जाती है बल्कि लिंगीय समानता (Gender Equality) की मांग भी की जाती है जो पूर्णतया प्रासंगिक तथा व्यावहारिक भी माना जाता है।

वस्तुतः हम भारत के लोग 21वीं सदी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं और अगर बेटी का जन्म हो जाए तो शांत हो जाते हैं। हमारे समाज में लैंगिक विषमता का सबसे स्पष्ट रूप सामाजिक और पारिवारिक जीवन में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में 'जुंग तथा जोर्डन' ने लिखा है कि स्त्रियों की प्रस्थिति के बारे में भारतीय समाज के मूल्यों में एक विचित्र विरोधाभास है। सैद्धान्तिक रूप में यह मूल्य स्त्रियों को ही सभी तरह की प्रसन्नता, समृद्धि और सफलता का मूल मानते हैं (यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः) लेकिन व्यवहार में स्त्रियों को उन अधिकारों से वंचित रखा जाता है जो उन्हें सामाजिक नियमों और कानूनों द्वारा प्राप्त हैं। सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों की प्रस्थिति पुरुषों के अधीन है। विभिन्न सर्वेक्षणों से स्पष्ट हुआ है कि कुछ अपवादों को छोड़कर स्त्रियां स्वतन्त्र रूप से कोई निर्णय नही ले पातीं। विभिन्न उत्सवों, समारोहों तथा आयोजनों के अवसर पर उन्हें दूसरे लोगों से केवल उतना ही सम्पर्क रखने की अनुमति होती है, जिस पर उनके पति, पिता या भाई को कोई आपत्ति न हो। उनके सामाजिक–सम्बन्धों का दायरा भी साधारणतया पुरुषों द्वारा निर्धारित होता है। जिन स्त्रियों में कुछ सामाजिक जागरूकता पैदा हुई है, उन्हें भी तरह–तरह की कटुता या अत्याचार का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों मे स्त्रियों का यौन उत्पीड़न जितना पहले था, उसमें आज भी

कोई कमी नहीं हुई है। गॉवों में आज भी विधवाओं को एक अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यह सभी समस्यायें स्त्रियों के साथ हैं पुरुषों के नहीं।

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद महिला शिक्षा के प्रतिशत में तेजी से वृद्धि हुई है लेकिन ग्रामीण समुदाय में आज भी लड़कियों को अधिक पढ़ाना–लिखाना अपनी सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध मानते हैं। स्त्रियों के साथ मार–पीट को पुरुषों द्वारा अपने अधिकार के रूप में देखा जाता है। आश्चर्य तो यह है कि यूरोप के विकसित समाजों में भी पत्नी से मार–पीट की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। हमारे समाज में स्त्रियों के विरुद्ध सामाजिक हिंसा का सबसे क्रूर रूप दहेज हत्याओं के रूप में विद्यमान है। विवाह के क्षेत्र में भी पुरुषों और स्त्रियों के बीच एक स्पष्ट असमानता है। लड़कों को जहाँ अपना जीवन–साथी के चुनाव की पूरी स्वतन्त्रता मिलती है लड़की की पसन्द अथवा नापसन्दी को साधारणतया अधिक महत्व नहीं दिया जाता है।

'जोया जैदी' का कहना है कि पुरुष महिलाओं को हमेशा यह एहसास दिलाने में कामयाब रहें कि वे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर पुरुषों की अपेक्षा कमजोर हैं। इन कमजोर और द्वितीय श्रेणी के नागरिक रूपी नारी को तमाम अधिकारों से वंचित किया गया उन्हें समाज पर बोझ समझा गया। पुरुषों को जहाँ अपने द्वारा उपर्जित धन का उपयोग करने के लिए सभी तरह की स्वतन्त्रता मिली हुई है वहीं स्त्रियाँ आर्थिक रूप से पुरूषों पर आंशिक या पूरी तरह निर्भर हैं। स्त्रियां यदि नौकरी करके धनोपार्जन करती हैं तो ऐसे धन पर भी विवाह से पहले उनके माता–पिता और विवाह के बाद साधारातया पति का अधिकार बना रहता है। 'डॉ0 राम आहूजा' द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि–10 प्रतिशत से अधिक स्त्रियां ऐसी नहीं हैं जिन्हें अपने द्वारा उपार्जित आय का उपयोग अपनी इच्छा से करने की स्वतन्त्रता हो। कानून द्वारा यद्यपि माता–पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को, पति की सम्पत्ति को पत्नी को तथा पुत्र की सम्पत्ति में माँ को पुरूषों के समान अधिकार मिले हैं लेकिन व्यवहार में स्त्रियाँ ऐसे सभी अधिकारों से वंचित हैं, केवल 0.5 प्रतिशत ऐसी स्त्रियाँ मिलीं जिन्हें अपने भाइयों के समान की सम्पत्ति में हिस्सा मिला।

बहुत सी लड़कियाँ जो इन्जीनियरिंग, प्रबन्ध, कम्प्यूटर, अथवा प्राविधिक क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करती हैं, उन्हें अक्सर विवाह के बाद पति द्वारा किसी तरह का आर्थिक सहायता करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह प्रतिभा का एक शोषण है जिससे राष्ट्र को भी व्यापक क्षति उठानी पड़ती है। नगरीय क्षेत्रों में जैसे–जैसे महिलाओं में सामाजिक एवं आर्थिक चेतना बढ़ती जा रही है। परम्परागत लैंगिक विषमता के फलस्वरूप परिवार एवं समाज में स्त्री–पुरूषों के बीच एक नयी विरोधपूर्ण दशा को प्रोत्साहन मिला है। विवाह–विच्छेद की बढ़ती हुई दर तथा बच्चों का दोषपूर्ण सामाजीकरण इसी दशा का परिणाम है जो कि भारतीय समाज के लिये उचित नहीं कहा जा सकता।

यह सच है कि हमारे समाज में लैंगिक विषमता को दूर करने तथा स्त्रियों की प्रस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए समय–समय पर अनेक प्रयत्न भी किये गये, लेकिन इन प्रयत्नों में राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानन्द, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महात्मा गॉधी के प्रयत्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं के कल्याण हेतु जो प्रमुख सामाजिक कानून/प्रावधान बनाये गये उन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है–

1. विशेष विवाह अधिनियम, 1954.
2. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955.
3. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956.
4. हिन्दू नाबालिगी तथा संरक्षता अधिनियम, 1956.
5. हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956.
6. स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956.
7. दहेज निरोधक अधिनियम, 1961.
8. समान पारिश्रमिक (वेतन) अधिनियम, 1976.
9. 1975 को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' घोषित किया जाना एवं 1976–85 को संयुक्त राष्ट्र महिला घोषित किया जाना।
10. महिला विकास निगम–1986.
11. राष्ट्रीय महिला अयोग–1992.
12. राष्ट्रीय महिला कोष–1992.
13. पंचायती राज अधिनियम, 1992 द्वारा गॉव पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित।
14. महिला समृद्धि योजना–1993.
15. घरेलू हिंसा अधिनियम–2005 बनाया गया जिसे 26 नवम्बर 2006 को पूरे भारत में लागू किया गया।

इस प्रकार लैंगिक समानता के उद्देश्य को हासिल करना, जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यलयों में कुछ पोस्टर चिपकाने तक ही सीमित नहीं है। यह मूल रूप से किसी भी समाज के दो सबसे मजबूत सामाजिक संस्थाओं परिवार और धर्म की मान्यताओं को बदलने से सम्बन्धित है। जेंडर बजटिंग के माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभार्थी बनाने की बजाय उन्हें विकास यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाना होगा। वास्तविक सुधारों के लिए

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-9, No.-II, Issues-10 YEAR- Dec -2018

जेंडर बजटिंग को महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्म निर्भरता से जोड़ना होगा। भारतीय समाज में स्त्रियों की आर्थिक परतंत्रता तथा धार्मिक अंधविश्वास लैंगिक विषमता का प्रमुख कारण रहे हैं। विभिन्न विकास कार्यक्रमों की सहायता से जैसे–जैसे स्त्रियों में आर्थिक आत्म–निर्भरता बढ़ेगी तथा शिक्षा के प्रभाव से तार्किक विचारों मे वृद्धि होगी, स्त्री पुरूष के विभेद की समस्या का अपने आप समाधान होता जायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीवास्तव, डॉ0 सीमा : 'लिंग भेद व लिंग समानता–दार्शनिक आयाम', राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, समाज विज्ञान विकास संस्थान बरेली (उ0प्र0), जनवरी–जून 2016य पृ0सं0–33।
2. अग्रवाल, डॉ0 जी0के0 : समाजशास्त्र, एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस, 3/20–बी, निकट तुलसी सिनेमा, आगरा (उ0प्र0), 2014य पृ0सं0–26–27।
3. जैदी, जोया : 'फीमेल फीटिसाइड् इन इण्डिया ह्यूमनिस्ट', आउटलुक अंक 11(प्) 2008य पृ0सं0–71।
4. अग्रवाल, डॉ0 जी0के0 : समाजशास्त्र, एस बी पी डी पब्लिसिंग हाउस, 3/20–बी, निकट तुलसी सिनेमा, आगरा (उ0प्र0), 2014य पृ0सं0–28–29।
5. पाण्डेय, एस0एन0 : 'घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण कानून 2005', हरी लॉ एजेन्सीय इलाहाबाद, 2007; पृ0सं0–1।

*****